<u>नोटिस नीलामी जनपद न्यायालय, फतेहपुर।</u>

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2020–21 (नीलामी के दिनांक से 31.03.2021 तक के लिये) के लिए खान पान (कैण्टीन), **साइकिल स्टैण्ड**, पान की दूकान व फल की दूकान का ठेका की नीलामी उपरोक्त अवधि हेतु दीवानी न्यायालय परिसर में दिनांक **15.09.2020** को दिन में **02.00 बजे से 04.00 बजे** के मध्य नीलामी समिति के अध्यक्ष व सदस्य गण की उपस्थिति में जनपद न्यायालय फतेहपुर के परिसर में की जायेगी जो लोग बोली में भाग लेना चाहे निर्धारित शर्तो की जानकारी हेतु निर्धारित समय के एक दिन पूर्व तक नजारत कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

1– नीलामी के समय बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व काशन मनी के रूप में प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा निर्धारित धनराशि नगद जमा करनी होगी तथा बोली स्वीकार होने के पश्चात बोली का 25 प्रतिशत जमानत की धनराशि के रूप में नगद जमा किया जायेगा।

2 नीलामी वर्तमान समय में चल रहे कोविड–19 के बचाव हेतु माननीय उच्च न्यायालय एवं शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन ठेकेदारों द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

3– यह कि जिस व्यक्ति की नीलामी स्वीकृत होगी उसे सभी शर्तो के अनुरूप अनुबन्ध प्रपत्र व व्यक्तिगत बंधपत्र देने होगें जो जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर व ठेकेदार के मध्य होगें।

4– यह कि साइकिल स्टैण्ड के लिए स्थान निर्धारित है, इस हेतु मान्नीय जनपद न्यायाधीश,, फतेहपुर द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।

5– यह कि जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर बिना कारण बताये अधिक बोली को स्वीकार न करने के अधिकारी होगें।

अध्यक्ष,
नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, फतेहपुर।